(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 844–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–9–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 183/निगरानी/2008–09.

लक्ष्मीबाई पति मांगीलाल उर्फ मांगिया कुशवाह
निवासी ग्राम अमझेरा
तहसील सरदारपुर जिला धार .....आवेदिका

विरूद्ध

1– सुमनबाई पिता काशीराम
निवासी ग्राम खरमपुर
तहसील व जिला धार
2– संगीताबाई पति विष्णु माली
निवासी ग्राम बलेड़ी
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
3– जयमाला पति अरविंद पटेल
निवासी ग्राम भुवानपुरा
तहसील संतरामपुर जिला महीसागर (गुजरात)
4– कमल पिता मांगीलाल उर्फ मांगिया कुशवाह
5– पंकज पिता मांगीलाल उर्फ मांगिया कुशवाह
निवासीगण ग्राम अमझेरा
तहसील सरदारपुर जिला धार .....अनावेदकगण

श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदिका
श्री आर.आर. माथुर, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 व 2
श्री दुष्यन्त कुमार सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 3
श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 4 व 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/1/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 व 2 द्वारा ग्राम अमझेरा स्थित खाता कमांक 586 कुल सर्वे नम्बर 12 कुल रकबा 7.191 हेक्टेयर भूमि का स्वत्व अनुसार बटवारा किये जाने हेतु संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार, सरदारपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 44/अ–27/2004–05 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 23–1–06 को अनावेदक कमांक 3 जयमाला एवं अनावेदक कमांक 5 पंकज को सूचना दिये जाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, जिला धार के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–7–2009 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त किया जाकर प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर एक माह में करने के निर्देश तहसीलदार को दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–9–15 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा अनावेदिका कमांक 1 व 2 के प्रश्नाधीन भूमियों पर स्वत्व व हक होने के संबंध में कोई जांच नहीं की गई, न ही अनावेदिका कमांक 1 व 2 द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश किये गये हैं, फिर भी तहसीलदार द्वारा बटवारा कार्यवाही किये जाने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की गई है ।

(2) मृतक भूमिस्वामी मांगीलाल उर्फ मांगिया द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 309, 310, 316, 317, 903, 956 का पारिवारिक बटवारा गवाहों के समक्ष अपने पुत्रों अनावेदक कमांक 4 एवं 5 के मध्य किया जाकर इकरारनामा लेख निष्पादित कर दिया था । विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि किसी भूमि का पूर्व में पारिवारिक विभाजन हो गया हो तो उनका पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता है ।

(3) तहसीलदार के समक्ष अनावेदिका कमांक 1 व 2 ने जानबूझकर बालिग पक्षकारों को नाबालिग बताते हुए, उन्हें व्यक्तिशः सूचना पत्र जारी न होने देने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य न आ सके, इस दुराशय से कार्यवाही की गई थी, जिसके संबंध में प्रस्तुत आपत्ति अमान्य करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि की गंभीर भूल की है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस विधिक तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि अनावेदिका कमांक 1 व 2 द्वारा बिना किसी विधिक आधार व स्वत्व के प्रश्नाधीन भूमियों के राजस्व अभिलेखों में बिना आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 को कोई सूचना दिये अवैधानिक रूप से अपना नाम दर्ज करवाया जाकर, उसके आधार पर बटवारे की कार्यवाही संस्थित की है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व अभिलेखों में बिना किसी विधिक आधार के दर्ज कराये गये नाम से कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं एवं स्वत्व का निर्धारण केवल व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय में प्रचलित बटवारा कार्यवाही अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है, जिस पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयें ने विधि की मंशा के विपरीत आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

तर्कों के समर्थन में 2004 आर.एन. 284, 1988 आर.एन. 94 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका की ओर से संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया है और अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेश यथावत रखा गया है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–15 विधिवत है और आवेदिका द्वारा प्रकरण विलंबित करने एवं अनावेदकगण को उनका हिस्सा प्राप्त करने में विलम्ब करने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त की जाकर अनावेदक कमांक 1 व 2 को प्रश्नाधीन भूमि प्राप्त नहीं होने के कारण जो क्षति हुई है, अतः क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000/– रूपये दिलवायी जाये ।

(3) अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 18–9–15 के विरूद्ध 125 दिन विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है और विलम्ब के संबंध में आवेदिका द्वारा कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है, इस कारण निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदिका कमांक 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ अनावेदक कमांक 4 एवं 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका कमांक 3 जयमाला एवं अनावेदक कमांक 5 पंकज तहसील न्यायालय में अनावेदक के रूप में पक्षकार हैं । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र की तामीली कराना न्यायालय का उत्तरदायित्व है । तहसील न्यायालय के आदेश विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 31–7–2009 को आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर एक माह में करने के निर्देश तहसील न्यायालय को देते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदिका कमांक 3 एवं अनावेदक 5 को सुना जाना आवश्यक है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करने से आवेदिका का कोई अहित नहीं है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अपर कलेक्टर के आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त की गई है । इस प्रकार तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह तीसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसका उद्देश्य प्रकरण को लम्बित कराना प्रतीत होता है, इसलिए निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–9–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर